सरकार कोई भी रहे पुलिस अपना काम अपने तरीके से ही करेगी

करनाल : सरकार कोई भी रहे पुलिस अपना काम अपने तरीके से ही करेगी, पुलिस की नजर आम जनता की जेब पर ही रहेगी । किसी के खिलाफ रिपोर्ट करनी हो तो पैसे, किसी के हक में काम करना हो तो पैसे, और किसी के खिलाफ कार्यवाही करनी हो, तो पैसे लेगी ।

सरकार बदलने से कोई फर्क नही पड़ता केवल काम घटता बढ़ता रहता है । करनाल विधान सभा मुख्यमन्त्री का कार्य क्षेत्र है इसलिये पुलिस कार्य के दाम वैसे ही बढ़ गये हैं, जो कार्य 5 हजार में होता था वह आजकल 10 हजार में हो रहा है । अगर पूछे कि महंगाई क्यों बढ़ी तो तर्क है कि ईमानदार सरकार आई है। पैसे कौन लेता है किसी की हिम्मत नही, जो पूछ सके।

मिली जानकारी अनुसार शहर सदर बाजार पुलिस चौकी में तैनात रमेश एएसआई जिसका रसूख कुछ ऊपर तक बताया गया है, यह मुकदमा खुद ही बना लेता है, कार्यवाही करने न करने की जिम्मेदारी भी ले लता है। गिरफतारी करने या न करने की फीस दोनों तरफ से लेना जानता है, अगर कोई शिकायत कर्ता शिकायत कर भी दे तो अधिकारी उसकी जाँच उसी को दे देते हैं।

करनाल के एक डाक्टर पुपिन्द्र सिंह ने बताया, मैने एक शाईन मोटर साईकिल 10 दिन पहले किसी पड़ोसी को बेची थी जिसे सात दिन चला कर वापिस करने पर झगड़ा हुआ जिसकी एफ आई आर दर्ज कराने सदर बाजार चौकी गया। दरखास्त पर कारवाई का जिम्मा रमेश ए एस आई को दिया । ए एसआई पहले तो टाल मटोल करता रहा परन्तु नजराना तय हो जाने के बाद उसने रिटायर पुलिस अधिकारी से केस की ड्राफ्टिंग करवा कर एफआईआर दर्ज की ।

डाक्टर पुपिन्द्र सिंह ने बताया कि एक हजार उसने रमेश एएसआई और एक हजार रिटायर पुलिस अधिकारी को दिया और आरोप लगाया कि पुलिस ने सात दोषियों में से दो की गिरफ्तारी दिखाई, उनसे सांठ-गांठ करके कागजी खाना पूर्ति में गिरफतारी दिखाकर बाहर से बाहर जमानत कराने का मौका दे दिया।

डा. का कहना है कि बाकी दोषियों को गिरफ्तार करने के बजाय एएसआई तफतीश के बहाने राजीनामा करने के लिये दबाव बनाता रहा है । पुपिन्द्र ने आरोप लगाया है कि तफतीशी ने उनसे नजराना ले लिया होगा जिस कारण वह बाकी दोषियों को गिरफतार नही कर रहा ।

संवाददाता ने फोन पर पैसे लेने बारे रमेश ए एस आई से जानकारी मांगी, तो कहा कि मैं क्यूं लूंगा जब सरकार हमारे को 70 हजार रू देती है, टीए डीए, न्यारे दे रही। और कहा क्यों पूछ रहे हो हम नही लेते किसी से पैसे। इसी तरह एक दूसरे मामले में भी रमेश एएसआई ने करनाल निवासी लव कुमार के साथ मिलकर उसकी बुजुर्ग विधवा मां को बेघर करने में अपनी भूमिका निभाई ।

लव कुमार ने एक मकान ए-484 सदर बाजार करनाल जो कि इसकी माता के नाम है को हड़पने की नीयत से घर से निकाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार किये, मकान का हाऊस टैक्स असैसमैन्ट, बिजली का मीटर अपनी पत्नी के नाम करवा लिया। अपनी माता के नाम का शपथ पत्र खरीदकर अपनी पत्नी अन्जू के नाम कियरायानामा लिखा तथा माता शान्ति देवी के फर्जी हस्ताक्षर कर सेल टैक्स विभाग से सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन न. प्राप्त कर लिया । जब माता शान्ति देवी को इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उन्होने सेल टैक्स अधिकारी को शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवा दिये कि न तो मैने शपथपत्र खरीदा है और ना ही कोई किरायानामा लिखा है, ये सब झूठा है ।

मामले की शिकायत आई जी पुलिस करनाल को की गई तो इस पर कारवाई करने का जिम्मा सदर बाजार पुलिस चौकी में तैनात उपरोक्त रमेश ए एस आई को दिया गया । तत्कालीन थाना प्रभारी मोहन लाल ने रमेश ए एस आई को इस केस की लीगल ऑपिनियन मांगने के निर्देश भी दिये । रमेश ने मामले में लगे के सभी दस्तावेजो को नजर अन्दाज कर और थाना प्रभारी के आदेशों को भी दर-किनार करके दोषी के झूठे बयान पर केस को फाईल कर दिया कि पहले से दोनों पक्षों में कोर्ट केस चल रहा है। जबकि इस मामले में कोर्ट केस नही चल रहा है। सेल टैक्स विभाग में लगे झूठे शपथ पत्र, शान्ति देवी के नाम से चल रहे नगर निगम में हाऊस टैक्स व बिजली बोर्ड विभाग का मीटर लव कुमार ने अपने नाम बदलने बारे हुये क्राईम की भी जाँच ना की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। जब नजराना मिल जाये तो कारवाई क्यों करे। अगर निष्पक्ष जाँच करता है तो सच्चाई सामने आती है। धोखाधड़ी का केस दर्ज करता तो नजराना कैसे हजम करता।

उल्लेखनीय है कि तफतीशी रमेश की झूठी रिपोर्ट की सीएम विण्डो पर शिकायत की गई जिसकी जाँच फिर रमेश एएसआई को ही सौप दी गई। शिकायत कर्ता ने पुलिस चौकी इंचार्ज जगदीश को बताया कि जिसके खिलाफ शिकायत है वो ही कैसे जाँच कर सकता है । इंचार्ज ने किसी अन्य अधिकारी से जाँच कराने का दिलासा देकर पुन: इसकी जाँच रमेश ए एस आई को ही दे दी । होना जाना क्या था- वही हुआ जो पहले रिपोर्ट बनाई थी वही झूठी रिपोर्ट पेश कर दी कि प्रापर्टी बटवारे का झगड़ा है, कोर्ट केस चल रहा है। यही रिपोर्ट एस एच ओ के माध्यम से होती हुई डिप्टी डिस्ट्रीक अटॉर्नी वर्मा के पास पहुँची । ये रमेश से भी दो कदम आगे निकले, झूठी रिपोर्ट पर मोहर लगाने के साथ-साथ लिख दिया कि आपसी लेन देन का मामला है, कोई कागजीनेबल ऑफेन्स नही बनता तथा एस एच ओ की रिपोर्ट से सहमत हूँ। जबकि शिकायतकर्ता ने अपने बयान में विशेष रूप से लिखा था कि इस शिकायत का कोई भी केस किसी कोर्ट में नही चल रहा है और ना ही किसी अधिकारी के पास लम्बित है। और न ही शिकायत में कही भी लेनदेन का वर्णन है ।

शिकायतकर्ता से उप जिला न्यायवादी वर्मा क्या आपने फाईल को पूरा पढ़ा है। तो बड़े ही गैर जिम्मेदाराना अन्दाज में कहा कि हम उसी पर साईन करते है जो नीचे से लिख कर आता है । एक जिला स्तर के अधिकारी द्वारा फाईल व पूरे केस को बिना देखे ही किसी रिपोर्ट पर टिप्पणी लिख देना या सहमति जता देना, यह सिद्ध नही कर रहा कि नीचे से ऊपर तक सब काम मिलीभगत से हो रहे। ये कैसी विडम्बना है कि निचली रिपोर्ट को ही बिना देखे मान्य कर देना है तो क्यों इनको सरकार वेतन देती है ? क्यों सरकार इनका बोझा ढो रही है ? इसी सन्दर्भ में 18 दिसम्बर 2018 को कारवाई के लिये एक शिकायत पत्र सी एम विण्डो पर दी गई लेकिन घूम फिर कर फिर से ये जाँच रमेश एएसआई को ही दे दी गई । इस मामले में पुलिस अधिकारीयों का नजरिया भी संदिग्ध रहा है। क्योंकि शिकायत जाँच अधिकारी रमेश के खिलाफ की गई थी और इसकी जाँच के लिये भी इसी रमेश को नियुक्त कर दिया गया। मामला गम्भीर होता गया तो अब पुलिस अधीक्षक ने विवेचना अधिकारी उपपुलिस अधीक्षक को जाँच अधिकारी नियुक्त किया ।

सरकार अपनी नीति व नीयत को साफ बताती रही है, लेकिन मुख्य मन्त्री के अपने गृह क्षेत्र में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की कारगुजारी के कारण जनता में अपनी छवि खोती जा रही है । मुख्यमन्त्री या किसी अन्य से ईमानदार होने का खामियाजा जनता कैसे और कितना भुगत रही है, ये एक सोच का विषय है । ये कैसे सम्भव है कि उच्चाधिकारियों को अधीनस्थ कर्मचारियों का पता न हो और जनता के बीच खुली लूट चलती रहे, क्या एक विवश विधवा महिला को न्याय दिलाने में सरकार व प्रशासन भ्रष्टाचार से दबकर असहाय बनी रहेगी ।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

गतांक की चीर-फ़ाड़

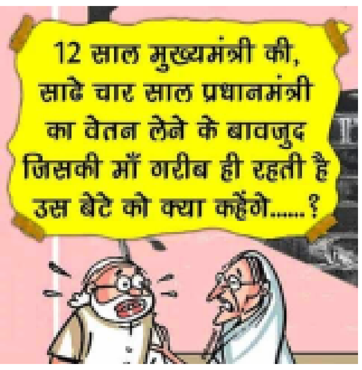
12 साल मुख्यमंत्री की, साढे चार साल प्रधानमंत्री का वेतन लेने के बावजुद जिसकी माँ गरीब ही रहती है उस बेटे को क्या कहेंगे......?

मोदी-शाह की जोड़ी की नौकरशाही पर पकड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 20-26 जनवरी 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। मोदी सरकार ने 23-24 अक्तूबर की मध्य रात्रि में तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल होने के तीन दिनों के अंदर ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केवी चौधरी की रिपोर्ट के आधार पर हटाने में जल्दबाज़ी की जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उनकी सरकार दोनों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई, जिसका 'हिन्दी अखबारों के सम्पादकों ने बना लिया है अपने पाठकों की हत्या का प्लान: रवीश कुमार' तथा सीबीआई प्रकरण: संदिग्ध है सीवीसी चीफ़ की भूमिका, वर्मा के घर जाकर चौधरी ने की थी अस्थाना के खिलाफ़ टिप्पणी को हटाने की गुजारिश' में बेबाक खुलासा किया गया है। सीबीआई में राकेश अस्थाना की स्पेशल डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति के समय वर्मा द्वारा सवालिया निशान खड़ा करने पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में कार्यरत अधिकारी पी के मिश्रा द्वारा चौधरी को अस्थाना की नियुक्ति को सुनिश्चित करने का निर्देश देने, चौधरी द्वारा वर्मा के घर जाकर अस्थाना की एसीआर रिपोर्ट से विपरीत टिप्पणी हटाने की गुजारिश करने तथा वर्मा द्वारा सीवीसी को अस्थाना के खिलाफ़ लम्बिल मामलों की शिकायत का संज्ञान लेने की अपेक्षा अस्थाना द्वारा वर्मा के विरुद्ध की गई शिकायत पर कार्यवाई करने से शक की सूई सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी व भारतीय जनता पाटी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह पर जाती है।

अस्थाना तथा कोयला घोटाले में लिप्त पीएमओ में अधिकारी भास्कर कुल्बे के मामलों के अलावा वर्मा के पास कई महत्वपूर्ण फ़ाइलें थी मसलन राफ़ेल सौदे का मामला, कोयला खदानों के आवंटन का मामला, संदेसरा और स्टर्लिंग बायोटेक मामला व नौकरी में रिश्वत मामला आदि, जिनका 'मोदी सरकार' आलोक वर्मा को 20 दिन भी झेलने की स्थिति में क्यों नहीं थी ? में उजागर किया गया है। मोदी सरकार को डर सता रहा था कि इन मामलों की जांच से उनकी सारी पोलपट्टी खुल जायेगी और जनता में उनकी बनी बनाई छवि मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिये आलोक वर्मा को हटाने में इतनी हड़बड़ी की गई। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने वर्मा के स्थान पर एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अन्तरिम निदेशक बनाया। राव ने पद सम्भालते ही अस्थाना के विरुद्ध जांच कर रहे अधिकारियों से जांच का अधिकार लेकर उनका अन्यत्र तबादला कर दिया।

मोदीराज के भय के कारण भारत का मीडिया विशेषकर हिन्दी समाचार पत्र और न्यूज चैनल अमेरिका व इंग्लैंड की तरह निष्पक्ष व स्वतंत्र नहीं है। लेकिन दि वायर, इंडियन एक्सप्रेस, टेलिग्राफ़ तथा 'मज़दूर मोर्चा' ने उपरोक्त प्रकरण की असलियत से रूबरू कराकर पत्रकारिता का धर्म निभाया है।

मोदी-शाह की जोड़ी की नौकरशाही के मामले में मोड्स-आपरेंडी का प्रमुख सूत्र है कि किसी भी संस्था के शीर्ष पर भ्रष्ट अफ़सर को बैठाना और फ़िर उससे मन माफ़िक काम लेना, जैसे सीबीआई पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना तथा वर्तमान अन्तरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव, सीवीसी केवी चौधरी, गुजरात के आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा आदि। लेकिन यदि कोई अफ़सर कानून, संविधान आदि के नाम पर उनके रास्ते में रोड़ा बने तो उन्हें इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी जैसे सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा, गुजरात में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट, राहुल वर्मा, रजनीश राय, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल आदि। न्यायपालिका में अनुकूल निर्णय करवाने के लिये न्यायाधीशों को उनके रिटायर होते ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हो जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी सथाशिवम को रिटायर होते ही केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा जस्टिस एके सीकरी को उनके रिटायर होने से दो माह पहले ही लंदन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य मनोनीत करने के निर्णय पर सीकरी की सहमति ले ली थी। मोदी-शाह की इस कार्यशैली की 'संस्थाओं में भ्रष्ट अफ़सरों को बैठाना और गर्दन पकड़कर उनसे मनमानी फ़ैसले करवाना मोदी की मोडस आपरेंडी का हिस्सा है' समीक्षा की गई है।

प्रधानमंत्री अपनी हर सभा व रैली में भ्रष्टाचार समाप्त करने का दावा करते हुये अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं लेकिन वे अपनी पार्टी व अपने चहेतों की लूट व भ्रष्टाचार को नज़र अंदाज कर देते हैं जबकि विपक्ष व विरोधियों पर भ्रष्टाचार व लूट का आरोप लगाते थकते नहीं हैं। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटों विवेक व शौर्य डोभाल द्वारा टेक्स हेवन वाली जगहों पर खोली गई कम्पनियों का अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और केमौन आइलैंड से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर ''कैरवां'' पत्रिका रिपोर्ट की संदर्भ में 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटों का विदेशों में काले धन का कारखाना: ''कैरवां'' की रिपोर्ट में पर्दाफ़ाश किया गया है। नोटबंदी की घोषणा के 13 दिन बाद विवेक डोभाल ने केमन आइलैंड में अपना कंपनी का पंजीकरण कराया था और विदेशी निवेश के तौर पर सबसे अधिक धन भारत में केमैन आइलैंड से आया था। 'कैरवां'' पत्रिका में छपी रिपोर्ट के कारण पत्रिका के संपादक कौशल श्राफ़ तथा कांग्रेसी नेता जयराम दास को इस मामले में प्रेस कान्फ्रेंस करने के विरुद्ध विवेक डोभाल ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पैराडाइस पेपर्स और पनामा पेपर्स दोनों ही में विवेक डोभाल की संरक्षक कम्पनी वाकर्स कॉरपोरेट लिमिटेड का नाम है और विवेक व शौर्य दोनों की कम्पनी में काम करने वाले कई अधिकारी कॉमन है। आश्चर्य है कि ''कैरवा'' के अलावा अन्य किसी अखबार अथवा चैनल ने इस प्रकरण पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी।

भारत में शिक्षा के निजीकरण व व्यवसायीकरण की नींव कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 'अम्बानी-बिरला' रिपोर्ट के संदर्भ में रखी गई थी जिसको भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय तत्कालीन मानव संशाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने शिक्षण संस्थाओं को अपने संशाधन स्वयं जुटाने का परिपत्र जारी करके इसे और आगे बढा दिया। लेकिन मोदी सरकार व हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा बजट में कटौती करके शिक्षा सुधार के नाम पर शिक्षा का व्यवसायिकरण, निजीकरण और भगवाकरण करने का कार्य किया जा रहा है, जिसका 'सार्वजनिक शिक्षा का निजीकरण क्यों' में तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। विडम्बना है कि इस कवायद से मोदी सरकार का भारत को जगतगुरू बनाने का दावा कैसे पूरा होगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के समानता के अधिकार के संदर्भ में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की इजाजत देने पर 10 से 50 साल उम्र की महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। केरल सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की कोशिश की, परंतु आरएसएस, भाजपा, अन्य हिन्दू संगठन तथा कांग्रेस द्वारा अपने रीजनीतिक हितों के मद्देनज़र उक्त महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ़ कड़ा विरोध-प्रदर्शन जारी है जिसकी 'सबरीमाला मंदिर में अयप्पा के सबसे पहले दर्शन करने वाली कनकदुर्गा को ससुरालियों ने पीटा, पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती' में विवेचना की गई है। गौरतलब है कि बम्बई में हाजी मस्तान दरगाह तथा शनि शिग्नापुर शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत का भाजपा व कांग्रेस दोनों ने समर्थन किया तथा मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार के नाम पर भाजपा व मोदी सरकार तीन तलाक बिल की वकालत कर रही है। भाजपा और आरएसएस दोनों केरल तथा दक्षिण के अन्य राज्यों में भाजपा का वर्चस्व स्थापित करने के लिये अयोध्या के राम मन्दिर की तरह सबरीमाला मन्दिर को भुनाने हेतु कटिबद्ध है।

सिरसा से प्रकाशित ''पूरा सच'' अखबार के संपादक रामचंद्र छत्रपति की सिरसा के सच्चा सौदा डेरे के प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा 2002 में हत्या करवाने व दो हमलावरों को मौके पर ही पकड़ लेने के बावजूद हरियाणा पुलिस छत्रपति के पीड़ित परिवार की मदद करने की अपेक्षा सच्चा सौदा डेरे की मदद की। 'हर दौर की सरकार ने छत्रपति के हत्यारे गुरमीत राम रहीम को बचाना चाहा-भाजपा, कांग्रेस, इनैलो समेत छोटे-मोटे दल भी इस फ़र्जी बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे...' में इन सभी दलों की भूमिका को बेपर्दा किया गया है। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज गुरदीप सिंह ने राम रहीम को छत्रपति की हत्या का दोषी करार कर उसे 20 वर्ष की सज़ा देकर छत्रपति के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है।

कांग्रेस व विपक्ष द्वारा मोदी सरकार द्वारा फ्रांसीसी डसाल्ट कम्पनी से राफेल विमान खरीदने की कीमत पर सवाल उठाने पर' राफेल पर सवाल ... !मीडिया: 570 करोड़ का राफ़ेल 1600 करोड़ में क्यों खरीदा ... ?? रक्षामंत्री: मैं मिडल क्लास फैमली से आई हूं और प्रधानमंत्री गरीब परिवार से .... ।' जेएनयू के विद्यार्थी कन्हैया कुमार के विरुद्ध तीन साल बाद दिल्ली की अदालत में दिल्ली सरकार की बिना अनुमति के दाखिल चार्जशीट अस्वीकृत होने पर 'कन्हैया कुमार को चार्जशीट करने का मोदी का सपना, सपना ही रह गया,' प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकास का लगातार झूठा दावा करने पर 'भाइयों और बहनों बताइये हमने विकास किया कि नहीं किया-बताइये किया कि नहीं' तथा मोदी सरकार द्वारा गरीब सवर्णों 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर 'गरीब जनरल तबका-मायूस न हो- मैं हूं न-10 प्रतिशत आरक्षण' कार्टूनों द्वारा मोदी जी व उनकी सरकार की नीतियों पर उपयुक्त तंज कसा गया है।